रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 474] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 1972/कार्तिक 11, 1894
No. 474] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 1972/KARTIKA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd November 1972

S.O. 689(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Ordinance, 1972 (9 of 1972), the Central Government hereby appoints the National Textile Corporation Limited, a Government company, as the Custodian-General for exercising supervision and control over all the sick textile undertakings, the management of which has vested in the Central Government under the said Ordinance.

[No. F. 28013/1/72-Tex A.]

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1972

का० आ० 689(अ).—रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का 9) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, जो सरकारी कम्पनी है, को उन सभी रुग्ण वस्त्र उपक्रमों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने के लिए महाअभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है, जिनका प्रबन्ध उक्त अध्यादेश के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हुआ है।

[सं० फा० 28 013/1/72—वस्त्र-क]

S.O. 690(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Ordinance, 1972 (9 of 1972), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sub-section (1) of section 5, and sub-section (2) of section 11 of the said Ordinance may also be exercised by the National Textile Corporation Limited.

[No. F. 28013/1/72-Tex A.]

K. K. DHAR, Jt. Secy.

का० आ० 690(अ).—रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का 9) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अध्यादेश की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकेंगी ।

[सं० फा० 28 013/1/72-वस्त्र-क]

के० के० धर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972